

अधिकांश म... का चेरा हो।
18/03/21 का चेरा हो।

3

18.03.2021

पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित। चूंकि इस प्रार्थनापत्र से सम्बन्धित मूल वाद संख्या

298 / 2016 को आज अदम हाजरी / पेरवी में खारिज कर निर्णित किया जा चुका है।

ऐसी स्थिति में इस प्रार्थनापत्र बाबत स्थगन में अब आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र में आदेशिका दिनांक 27.07.2015 से जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को निष्प्रभावी करते हुए, आगे कि कार्यवाही इसी स्तर पर स्थगित किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर मूल वादपत्र संख्या

298 / 2016 के साथ नत्थी रहें।

उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकला (भीलवाडा) राज

